न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 237 /2025
जीसीएमएस संख्या–2025/324

प्रार्थीगण गेरी देवी पत्नी कनीराम जाति कुम्हार निवासी साथीन	बनाम	अप्रार्थीगण भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

श्री रामकिशोर चौधरी–प्रार्थीया

निर्णय दिनांकः–25.09.2025

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसके अनुसार प्रार्थीया गेरीदेवी के ग्राम बुचकला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2668 किस्म गै.मु. औद्योगिक भूमि आई हुई है । सबूत में नकल जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार संवत 2075–2078 सर्वे आधार सम्वत् 2081 तक की मय खंसरा व ट्रेस नक्शा के संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की गैर मुमकीन औद्योगिक कब्जासुदा जमीन है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेती आ रही है। वादग्रस्त आराजी के उत्तर तरफ खसरा संख्या 675 गै मु. सडक आयी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी के दक्षिण तरफ खसरा संख्या 625 गै. मु. सडक आयी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी के पूरब तरफ खसरा संख्या 1124 गै. मु. धेड़ा आयी हुई है तथा वादग्रस्त आराजी के पश्चिम तरफ पप्पुडी वगैराह की कृषि भूमि खसरा संख्या 626 आयी हुई। प्रार्थीया अपने वादग्रस्त आराजी के चारों ओर पट्टियो के टुकडे रोपकर तारबंदी करवाना चाहती है प्रार्थीया अपने खातेदारी गै. मु. औद्योगिक भूमि के अधिकारों की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी का नाप–चोक कर सीमांकन करवाकर वादग्रस्त आराजी के चारों कोनों पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है जिसके लिए प्रार्थीया पत्थर इत्यादि उपलब्ध करवाने को तैयार है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की खातेदारी गै मु औद्योगिक कब्जासुद है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेती आ रही है। जिसका प्रार्थीया नाप–चोक कर सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। वादग्रस्त आराजी ग्राम बुचकलां की राजस्व सीमा में स्थित है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीया की ग्राम बुचकलां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 624 रकबा 0.2668 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन औद्योगिक का नाप चोक कर सीमांकन करवाया जाकर वादग्रस्त आराजी के चारों कोनों पर पत्थर–गड्डी करवायी जानें का आदेश फरमायें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीया हो प्रार्थीया के हक में अता फरमायें।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया जिनमें से अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त एवं जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम बुचकला के खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2668 हैक्टेयर किस्म गै.मु. औद्योगिक भूमि का सीमांकन किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम बुचकला तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खाता संख्या 100 खसरा नम्बर 624 रकबा 0.2668 किस्म गै.मु. औद्योगिक भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष मे किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया की कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी पीढ़ियों काबिज होकर उपयोग व उपभोग में लेती आ रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी भूमि पर काबिज है, इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बुचकला के खाता संख्या 100 खसरा संख्या 624 रकबा 0.2668 हैक्टेयर भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 25.09.25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर